न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **62/2024** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2024/515

देवीलाल पिता भूरीलाल निवासीः चीरवा, तहसील बड़गांव, उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये पटवारी, पटवार हल्का चीरवा, तहसील बड़गांव, उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरूद्ध निर्णय उप तहसलीदार बड़गांव प्रकरण संख्या 04/2024
दिनांक 03.09.2024

उपस्थित : श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांकः— 25/03/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार बड़गांव के प्रकरण संख्या 04/2024 आदेश दिनांक 03.09.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का चीरवा द्वारा विपक्षी के विरूद्ध माननीय अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट पेश की कि आराजी नंबर 2396 रकबा 0.0070 हैक्टेयर किस्म रोडिया पर पत्थर की कोट बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट/विपक्षी को सूचना पत्र भेजा गया, जिस पर अपीलाण्ट/विपक्षी ने दिनांक 03.09.2024 को अपने जवाब के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/विपक्षी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं दस्तावेज का अवलोकन फरमाये बगैर ही हौज—फौज में न्याय एवं विधि के सिद्धांतों के विपरीत निर्णय पारित करने में विधिक भूल फरमायी है। आराजी नंबर 2390 रकबा 0.2300 हैक्टेयर भूमि पटवार हल्का चीरवा, तहसील बड़गांव के मूल खातेदार चतरभुज पिता रूपलाल ब्राह्मण है, जिन्होंने अपने उक्त आराजी में से 149/1150 रकबा

जिला कलक्टर
उदयपुर

अपनी पुत्री गेहरी बाई पत्नी देवीलाल को विक्रय कर दिया। इस वजह से वर्तमान समय में गेहरी बाई एवं चतरभुज राजस्व रेकर्ड के खातेदार व काश्तकार है। आराजी नंबर 2390 के दक्षिण दिशा में आराजी नंबर 2396 स्थित है जो कि बिलानाम सरकार है तथा उसके दक्षिण दिशा में आराजी नंबर 2399 स्थित है जो कि आम रास्ता है। आराजी नंबर 2396 में ग्राम चीरवा के वारिसान द्वारा मवेशी का गोबर डालने के लिये रोडिया बना रखी है और इस वजह से राजस्व रेकर्ड में भी किस्म रोडिया दर्ज है। आराजी नंबर 2390 में खेती करने के लिए आने–जाने का कोई रास्ता नहीं होने की वजह से उक्त आराजी के मूल खातेदार चतरभुज पिता रूपलाल द्वारा तहसील गिर्वा में रास्ता प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण संख्या 23/90 मु. दर्ज कर मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर राजस्व अधिकारी ने आराजी नम्बर 2390 में जाने का कोई रास्ता नहीं होना स्पष्ट रूप से अंकित किया तथा उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में आराजी नंबर 2396 जो कि बिलानाम दर्ज है, साक्ष्य ली गई, तत्पश्चात् प्रकरण का अवलोकन किया गया और इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई कर दिनांक 07.04.1992 को 10 फिट चौडा रास्ता आराजी नंबर 2396 में से उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ दिया गया। उसके पश्चात् उक्त निर्णय की पालना में आराजी नंबर 2390 के मूल खातेदार द्वारा सन् 1992 में 10 फिट चौड़ा रास्ता के हिसाब से उत्तर से दक्षिण की तरफ पत्थर का कोट बनाया गया, जो तब से लेकर आज दिन तक मुतावातिर यथावत् बना हुआ है। अपीलाण्ट/विपक्षी द्वारा उपरोक्त सभी दस्तावेज को माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज का गहनतापूर्वक कोई अवलोकन नहीं किया गया और अतिक्रमी मानकर विधिविरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। वर्तमान में आराजी नंबर 2399 राजस्व रेकर्ड में रास्ता अंकित है तथा इसके उत्तर दिशा में आराजी नंबर 2396 बिलानाम रोडिया दर्ज है तथा इसके उत्तर दिशा में आराजी नंबर 2390 स्थित होकर आराजी नंबर 2390 में जाने का कोई रास्ता नहीं होने की वजह से आराजी नंबर 2399 में से होकर आराजी नंबर 2396 में होकर आराजी 2390 में आना जाना रहता है। उक्त आराजी में जाने का एक यही रास्ता है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का अपीलाण्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा जानबूझकर मिथ्या तथ्यों का संकलन कर हल्का पटवारी द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध अतिक्रमी होने की रिपोर्ट पेश कर दी। अधीनस्थ न्यायालय गिर्वा द्वारा दिनांक 07.04.1992 को पारित किये निर्णय के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व अधिकारियों की भूल की वजह से प्रविष्टि दर्ज नही हुई। इस वजह से अपीलाण्ट को अतिक्रमी मान लिया, जबकि अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है, न उक्त भूमि से अपीलाण्ट का कोई सरोकार व हित ही है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर माननीय

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बड़गांव द्वारा प्रकरण संख्या 04/2024 निर्णय दिनांक 03.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का चीरवा के आराजी संख्या 2390 रकबा 0.2300 हैक्टेयर भूमि के मूल खातेदार चतरभूज पिता रूपलाल ब्राह्मण है, जिन्होंने अपने उक्त आराजी में से 149/1150 रकबा अपनी पुत्री गेहरी बाई पत्नी देवीलाल को विक्रय कर दिया। इस वजह से वर्तमान में गेहरी बाई एवं चतरभुज राजस्व रेकर्ड में मूल खातेदार है। आराजी संख्या 2390 के दक्षिण दिशा में आराजी नंबर 2396 स्थित है जो बिलानाम सरकार है तथा उसके दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 2399 स्थित है जो आम रास्ता है। आराजी संख्या 2396 में ग्राम चीरवा के वासियान द्वारा मवेशी का गोबर डालने के लिए रोडिया बना रखी है इसलिए राजस्व रेकर्ड में भी किस्म रोडिया दर्ज है। आराजी संख्या 2390 में खेती करने के लिए आने–जाने का कोई रास्ता नहीं होने की वजह से उक्त आराजी के मूल खातेदार चतरभुज पिता रूपलाल द्वारा तहसील गिर्वा में रास्ता प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका प्रकरण संख्या 23/90 मु. पर दर्ज किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई, जिस पर राजस्व अधिकारी ने आराजी नंबर 2390 मे जाने का कोई रास्ता नहीं होना स्पष्ट रूप से अंकित किया तथा उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में आराजी नंबर 2396 जो कि वर्तमान बिलानाम भूमि दर्ज है, साक्ष्य ली गई, तत्पश्चात् प्रकरण का अवलोकन किया गया और इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई कर दिनांक 07.04.1992 को 10 फिट चौडा रास्ता आराजी नंबर 2396 में से उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ दिया गया जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से अपीलार्थी का अतिक्रमी माना गया है। चूंकि उक्त आराजी पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है अतः यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा रास्ता देने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तो कोई आपत्ति नही है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम चीरवा की आराजी नम्बर 2396 रकबा 0.0070 हे. भूमि बिलानाम दर्ज होने से अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बडगांव द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार राजस्व ग्राम चीरवा की आराजी संख्या 2396 बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड है जिसमें से अपीलाण्ट द्वारा 0.0070 हे. भूमि पर पक्का कोट का निर्माण कर अतिक्रमण किया

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 2390 पर पहुंच हेतु कोई मार्ग उपलब्ध नही है एवं वर्ष 1991 से आराजी नम्बर 2396 में स्थित रास्ते का उपयोग करते आ रहे है एवं यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा रास्ता देने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तो कोई आपत्ति नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 251 (क) के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़गांव में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे एवं उपखण्ड अधिकारी बड़गांव नियमानुसार निस्तारण करे। साथ ही तहसीलदार/उपतहसीलदार बड़गांव को पाबन्द किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा धारा 251(क) के प्रावधानों के तहत जब तक प्रकरण का निस्तारण नही किया जाता है तब तक अपीलार्थी को रास्ते का उपयोग करने मे बाधा उत्पन्न ना करे। यदि अपीलाण्ट द्वारा रास्ते के उपयोग के अतिरिक्त कोई अन्य अतिक्रमण किया गया है तो तहसीलदार/उपतहसीलदार बड़गांव नियमानुसार अतिक्रमण हटाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बडगांव एव तहसीलदार/उपतहसीलदार बड़गांव को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर